प्रकरण संख्या 29/2018 कमजी व अन्य बनाम भेरिया व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्तयाबी की आराजी नंबर 210, 211, 212 कुल किता 3 रकबा 1.12 हैक्टर भूमि ग्राम भंवरमोड, प.ह. कुवानिया, तहसील घाटोल में स्थित है, जो वर्षो से वादी व उसके भाई धुलिया के खातेदारी में चली आ रही है तथा दोनों भाई बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे हैं। धुलिया लाऔलाद फोत होने से धुलिया के भाई वादी भेरिया के नाम नामान्तकरण स्वीकृत होकर खातेदारी में दर्ज हुई तथा वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर भूमि हांकना शुरू कर दिया तथा भूमि हडपना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण अतिक्रमी घोषित कर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में तनकियां कायम कर अपने निर्णय दिनांक 14.05.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित कर कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.10.2018 को प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री समय पण्डया श्री निखिल मालोत उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह राठौड़ उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को दिनांक 02.10.2018 को जानकारी होने पर अविलम्ब नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है, उसमें कोई विलम्ब नहीं किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested

गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 14.05.2018 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 12.10.2018 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की समयावधि में दिनांक 13.07.2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में करीब 3 माह का विलम्ब हुआ है, किन्तु उक्त निर्णय व डिक्री अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में जारी की गयी है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा बिना समुचित अवसर दिये जवाबदावा बन्द कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की बहस सुने बिना ही साक्ष्य व दस्तावेज का एकतरफा अवलोकन कर निर्णय पारित किया है। इस भूमि के मुख्य खातेदार धुलिया द्वारा दिनांक 23.06.2000 को अपीलान्टगण के पक्ष में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था, जिस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलान्टगण उपस्थित नहीं होने से तथा उनके द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोन्डेन्ट/वादी द्वारा साक्ष्यों का विवेचन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पर्चा मौका दिनांक 29.05.2015 सलग्न है, जिसमें पटवारी हल्का ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट अंकित किया है कि धुलिया पिता दला द्वारा लालिया पिता मलिया व कमजी पिता मलिया के पक्ष में 18,000/– रूपये में विक्रय किया गया है तथा उक्त बेचान नामा अधीनस्थ न्यायालय के पृष्ठ संख्या 68 पर संलग्न है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त बेचान नामा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 46/2013 निर्णय एवं डिक्री 14.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का परीक्षण कर तथा अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 23.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested